



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235238
CG-DL-E-20042022-235238

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944

No. 202]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिसूचना

पांडिच्चेरी, 16 फरवरी, 2021

सं. पीयू/एलसी/ संशोधन / 2019-20.— पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (1985 के 53) और विश्वविद्यालय की विधियों की धारा 27 के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसार, विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद द्वारा "शैक्षणिक मामलों का संचालन करने वाले अध्यादेशों" में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं और विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 के तहत आवश्यकता के अनुसार यहाँ प्रकाशित किये जा रहे हैं।

संबद्धता समिति के गठन के संबंध में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों को नियंत्रित करने वाले अध्यादेशों के अध्याय VII के खंड 5 (1) में संशोधन।

मौजूदा संस्करण	संशोधन के लिए प्रस्तावित संस्करण
1) संबद्धता समिति का गठन इस प्रकार हो: i) कुलपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति -- अध्यक्ष ii) शैक्षणिक परिषद के द्वारा दो नामांकित व्यक्ति --- सदस्य iii) कुलसचिव या कुलपति के द्वारा नामित अन्य अधिकारी ---- सदस्य सचिव	1) संबद्धता समिति का गठन इस प्रकार हो: i) कुलपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति -- अध्यक्ष ii) शैक्षणिक परिषद के द्वारा नामांकित दो व्यक्ति --- सदस्य iii) कुलपति के द्वारा नामांकित कार्यकारी परिषद का एक सदस्य iv) कुलसचिव या कुलपति के द्वारा नामित अन्य अधिकारी ---- सदस्य सचिव

प्रो. अमरेश सामंतराय, कुलसचिव प्र.

[विज्ञापन III/4/असा./08/2022-23]

PONDICHERRY UNIVERSITY**NOTIFICATION**

Pondicherry, the 16th February, 2021

No. PU/LC/Amendments/2019-2020.—In exercise of the power conferred under Section 27 of the Pondicherry University Act 1985 (53 of 1985) and Statutes of the University, the following amendments have been made by the Academic Council and Executive Council of the University to the “Ordinances Governing Academic matters” and published hereunder as per requirement under Section 44 of the University Act.

Amendment to Clause 5 (1) of Chapter VII of the Ordinances Governing Academic Matters of the University regarding constitution of the Affiliation Committee.

Existing Version	Proposed Version for Amendment
(I) The Affiliation Committee shall consist of the following:	(I) The Affiliation Committee shall consist of the following
(i) Vice-Chancellor or his nominee Chairman	(i) Vice-Chancellor or his nominee Chairman
(ii) Two nominees of Academic Council --- Members	(ii) Two nominees of Academic Council --- Members
(iii) Registrar or any other Officer nominated by the Vice-Chancellor ---Member Secretary	(iii) One member of the EC nominated by the Vice-Chancellor.Member
	(iv) Registrar or any other Officer nominated by the Vice-Chancellor ---Member Secretary

Prof. AMRESH SAMARTARAYA, REGISTRAR

[ADVT.-III/4/Exty./08/2022-23]